प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 3161/2007

याचिकाकर्ता - व्यास नारायण वर्मा, पिता श्यामलाल वर्मा, आयु लगभग 28 वर्ष, सरपंच, ग्राम पंचायत नवागांव, निवासी ग्राम पंचायत नवागांव, तहसील नवागढ़, जिला दुर्ग (छ.ग.)

बनाम

उत्तरवादीगण - 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग, डी.के.एस. भवन, रायपुर (छ.ग.)

2. कलेक्टर, जिला दुर्ग (छ.ग.)

3. अपर कलेक्टर, बेमेतरा, जिला दुर्ग (छ.ग.)

4. संचालक, पंचायत एवं विकास विभाग, रायपुर (छ.ग.)

5. अनुविभागीय अधिकारी, बेमेतरा, जिला दुर्ग (छ.ग.)

6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत नवागढ़, जिला दुर्ग (छ.ग.)

7. शंकर प्रसाद, पिता रामरतन यादव, आयु लगभग 35 वर्ष, निवासी ग्राम नवागांव, ग्राम पंचायत नवागांव, तहसील नवागांव, जिला दुर्ग (छ.ग.)

8. जगदेव यादव, पिता बंशी यादव, पंच, ग्राम पंचायत नवागांव, तहसील नवागढ़, जिला दुर्ग (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत रिट याचिका

एकल पीठ : माननीय न्यायमूर्ति श्री सतीश के. अग्निहोत्री

.....

उपस्थित:

श्री राघवेन्द्र प्रधान, अधिवक्ता, याचिकाकर्ता की ओर से।

श्री वी.वी.एस. मूर्ति, उप महाधिवक्ता सहित श्रीमती अंजू आहूजा, उप शासकीय अधिवक्ता, राज्य/उत्तरवादी क्रमांक 1 से 5 की ओर से।

.....

आदेश

(दिनांक 13 जून, 2007 को पारित)

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत प्रस्तुत इस याचिका द्वारा, याचिकाकर्ता ने उत्तरवादी क्रमांक 4 द्वारा अपील प्रकरण क्रमांक 19/A-89/05-06 में पारित आदेश दिनांक 12.04.2007 (अनुलग्नक पी./1) की वैधता एवं औचित्यता को चुनौती दी है। याचिकाकर्ता का मुख्य तर्क यह है कि आक्षेपित आदेश उसे सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना पारित किया गया है, अतः वह विधि विरुद्ध है। द्वितीयतः, यह भी अभिकथित किया गया है कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध लगाए गए आरोपों का समुचित परिप्रेक्ष्य में परीक्षण नहीं किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुनने तथा आक्षेपित आदेश सहित अभिलेख पर संलग्न अन्य आदेशों एवं दस्तावेजों का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि याचिकाकर्ता, सरपंच के रूप में कार्य करते हुए, ग्राम पंचायत नवागांव द्वारा निष्पादित कराए गए कार्यों हेतु नियोजित श्रमिकों को भुगतान करने में गंभीर अनियमितताओं का दोषी पाया गया। संचालक तथा अपर कलेक्टर, बेमेतरा द्वारा पारित आदेशों से यह परिलक्षित होता है कि याचिकाकर्ता को दिनांक 15.09.2005, 19.09.2005, 26.09.2005, 03.10.2005, 24.10.2005 एवं 10.11.2005 को पर्याप्त नोटिस एवं सुनवाई के अवसर प्रदान किए गए थे। तथापि, अनेक नोटिसों की तामील के बावजूद, याचिकाकर्ता ने न तो अपना जवाब प्रस्तुत किया और न ही अपने बचाव में कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया।

3. यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि नोटिस की विधिवत तामीली के उपरांत भी यदि अपचारी जवाब प्रस्तुत नहीं करता, तो यह माना जाता है कि उसे पर्याप्त सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत चिकित्सीय प्रमाणपत्र

(अनुलग्नक पी./4) में यह दर्शाया गया है कि वह दिनांक 10.09.2005 से 15.11.2005 तक इवेंजेलिकल हॉस्पिटल, बैतलपुर में बाह्य रोगी के रूप में उपचाराधीन था। उक्त चिकित्सीय प्रमाणपत्र की विश्वसनीयता संदिग्ध प्रतीत होती है, क्योंकि इसमें उल्लिखित अवधि प्रथम नोटिस जारी होने से कुछ दिन पूर्व प्रारंभ होती है तथा अंतिम नोटिस जारी होने के कुछ दिन पश्चात समाप्त होती है। अन्यथा भी, याचिकाकर्ता बाह्य रोगी था, अतः वह कारण बताओ नोटिस के जवाब हेतु समय की मांग करने की स्थिति में था। याचिकाकर्ता को सरपंच पद से हटाया जाना उसके द्वारा की गई अनेक अनियमितताओं के सिद्ध होने के आधार पर किया गया है। अतः आक्षेपित आदेश दोषरहित है और इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

4. यह विधि का सुव्यवस्थित सिद्धांत है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत यह न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का न्यायिक पुनर्विलोकन उस स्थिति में कर सकता है, जब अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट एवं प्रत्यक्ष त्रुटि परिलक्षित हो, जो विधि के प्रावधानों की स्पष्ट अवहेलना या घोर उपेक्षा पर आधारित हो, अथवा जिससे न्याय का विफल होना या गंभीर अन्याय उत्पन्न हुआ हो। इसके अतिरिक्त, यह न्यायालय अपने पर्यवेक्षणीय अधिकार क्षेत्र का प्रयोग उस स्थिति में भी कर सकता है, जब निर्णय-प्रक्रिया में विकृतता, अनियमितता अथवा अवैधता हो, न कि स्वयं निर्णय के गुण-दोष में।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. उपर्युक्त सुस्थापित विधिक सिद्धांतों को वर्तमान प्रकरण के तथ्यों पर लागू करने पर यह स्पष्ट होता है कि उत्तरवादी क्रमांक 4 द्वारा पारित आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं बनता।

6. फलस्वरुप, यह याचिका खारिज की जाती है। वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

7. परिणामस्वरूप, अंतरिम अनुतोष प्रदान करने हेतु प्रस्तुत आई.ए. क्रमांक 1 भी निराकृत की जाती है।

सही/-

(सतीश के. अग्निहोत्री)

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur